CBI to the effect that the brief case in which he was carrying several valuable documents and evidence obtained from abroad on the Rajiv Gandhi assassination case was snatched from him;

(b) whether the same DIG (CBI) after the London incident was formally inducted into the Special investigating Team (SIT); and

(c) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) No, Sir. An incident involving theift of a brief case belonging to a DIG of CBI who had gone to London for a meeting with officials of Interpol in connection with matters not pertaining to the Rajiv Gandhi case was reported to the Metropolitan Police London. It has been confirmed that no paper pertaining to the Rajiv Gandhi Assassination case was in the brief case.

(b) and (c) The officer referred to above, has been an active member of the S.I.T. right from the initial stages of its investigation.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए जाना

3048. **श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 से लेकर वर्ष 1992-93 त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय सरकार के कितने राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों के विरुज मामले दर्ज किये गये थे और उक्त अवधि में दर्ज किये गये मामलों और उससे पहले दर्ज किये गये मामलों में से, कितने मामलों के संबंध में निर्णय हो चुका है;

(ख) कितने अधिकारी दंडित किये गये और कितने अधिकारी निर्दोष पाये गये हैं और दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार, कितने मामले विचाराधीन थे; और

(ग) उक्त अधिकारियों में से अखिल भारतीय सेवा के कितने अधिकारी दोषी पाये गये और दंडित किये गये हैं और उन्होंने क्या-क्या अपराध किये थे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) (i) वर्ष 1989 से जनवरी, 1993 की अवधि के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 1,343 मामले दर्ज किये। इनमें से 615 मामले राजपत्रित अधिकारियों तथा शेष 728 मामले अराजपत्रित अधिकारियों से संबंधित थे। (ii) उपर्युक्त 1,343 मामलों में से 1,085 मामलों में जांच कार्य पूरा हो चुका है। इनमें से 440 मामले मुकदमें के लिये न्यायालय में भेजे गये, 549 मामले संबंधित विभागीय प्राधिकारियों को नियमित विभागीय कार्रवाई के लिये भेजे गये तथा 40 मामलों में संबंधित विभागों को यथा-पेक्षित उचित कार्रवाई के लिये रिपोर्ट भेजी गयी। 56 मामले बन्द कर दिये गये या उनका निपटान हो गया।

(ख) (i) मुकदमें के लिये भेजे 440 मामलों में से 8 मामले अभी तक निम्न-लिखित परिणामों के साथ निपटा दिये गये हैं:-

(1) दोषी पाये गये अधिकारी	4
(2) दोष मुक्त अधिकारी	-2
(3) जिनकी मृत्यु मुकदमें के दौरान हुई	-1

(ii) विभागीय कार्यवाही के लिये भेजे 549 मामलों में से अभी तक 73 मामलों पर निर्णय लिया गया हैं:—

(1) दंडित अधिकारी —77
(2) दोषमुक्त अधिकारी —32

(iii) 31—12—92 की स्थिति के अनुसार 908 मामले विचारण नियमित विभागीय कार्यवाही के लिये लंबित थे।

(ग) उपर्युक्त दंडित कर्मचारियों में अखिल भारतीय सेवा का कोई भी अधिकारी नहीं था।

भारत सरकार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी

3049. **श्री मलचन्द मीणा :**
श्री मुहम्मद मसूद खान :
क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के अधीन विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारी कार्यरत थे ;

(ख) क्या जाली जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर सामान्य वर्गों के व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है ;

(ग) क्या ऐसी नियुक्तियों के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गेट आल्वा) :
(क) 1—1—92 की स्थिति के अनुसार सूचना निम्न प्रकार हैं:—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह क	6331	1914
समूह ख	11399	2349
समूह ग	368494	73739
समूह घ	242495	78375
सफाई कर्मचारी	90399	4765

1—1—93 (31—12—92) की स्थिति के अनुसार सूचना अभी तक समेकित नहीं की गई है ।

(ख) से (घ) सामान्यतः जाति प्रमाण-पत्रों से संबंधित सूचना तथा तत्विषयक शिकायतें विभिन्न नियोक्ता प्राधिकारी प्राप्त करते हैं तथा उन पर कार्रवाई करते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के दावों के सत्यापन के संबंध में विस्तृत अनुदेश नियोक्ता प्राधिकारियों को पहले ही जारी किये जा चुके हैं। सब प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आरंभिक नियुक्ति के समय तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रिक्ति पर पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाति स्तर का सत्यापन कर लें। यदि कोई नियोक्ता प्राधिकारी किसी कारणवश उस स्थान के जहां पर उम्मीदवार अथवा उसका परिवार सामान्यतः रहता है, जिला मजिस्ट्रेट से उम्मीदवार के दावे को सत्यापित करना आवश्यक समझता है तो कर सकता है। यदि किसी मामले विशेष में नियुक्ति के पश्चात सत्यापन से यह पता चलता है कि उम्मीदवारों का दावा झूठा था, तो संगत नियमों/आदेशों के अनुसार उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

जैसा कि झूठे जाति प्रमाण-पत्रों के उदाहरण सरकार के सम्मने आये, इसलिये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24—4—90 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/6/88—स्था० (अनु०जा०) में एक संशोधित प्रक्रिया निर्धारित की गई। इस कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति विवरण [illegible] है ।